APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) खींवसर मुकाम खींवसर

...जादरिया S/o ... वगैरह जाट बनाम हीरराम S/o ... व ... जाट

...म मुकदमा रा.व. नं. 623/10 सन् 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/9/10	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर मिसल वास्ते तलबी दि. 10/11/2010 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) खींवसर	
10/11/10	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित P.O. PGKS ... में पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/1/2011 को प्रस्तुत हो। [signature]	
4-1-2011	दिनांक 3-1-2011 को पूर्व राज्यपाल राजस्थान सरकार के निधन पर राजकीय अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रतिवादी ... [illegible] ... हुई वकील श्री पुरखाराम चौधरी एड. ने पेश किया जा रहा ... [illegible] ... के ... [illegible] ... पेश की जा रहा ... [illegible] ... वकील वादी ... पेश करें, पेश होने पर जारी हो पत्रावली ... तलबी हेतु दिनांक 23/5/2011 को पेश हो। [signature]	

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
623/2010 22/9/22 पत्रावली पेश। वकील उपस्थित नालिश का वाद पत्र में राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी वाद में इकतरफा स्वीकार किया किया जाता है। पत्रावली जेरकार शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

गलत तरमीम को दुरूस्त करने का निवेदन किया है उक्त दुरूस्ती हेतु श्री तिलोकचन्द्र र कानूनगो कलेक्ट्रेट नागौर ने भी अपनी जाचं रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है की जिला कार्यालय अ.) के तरमीम स्थिति आदेश दिनांक 08.01.2010 के अनुसार करवायी जाकर प्रार्थी के कब्जे के न पर सही तरमीम करवायी जाने की रिपोर्ट पेश की हैं। जो न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः वादी का वाद, राजीनामा अनुसार एवं पत्रावली पर मौजूद रेकर्ड के आधार पर तथा यपक्षकारान की बहस के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि

आदेश

मौजा ताडावास के लट्ठा नक्शा में खसरा नबंर 488/638 का मौजुदा नक्शा दुरूस्त कर खसरा नबंर 488/638 रकबा 8 बीघा नक्शा लट्ठा खसरा नबंर 489 रकबा 9.02 बीघा से 20 फुट दूर पूर्वी तरफ वादी के नजरी नक्शा जो वाद का अभिन्न अंग है के अनुसार एवं जिला कार्यालय (भू.अ.) के तरमीम स्थिति आदेश दिनांक 08.01.2010 के अनुसार नक्शा लटठा में तरमीम शुद्वी करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो आदेश की पालना की जावें एवं किसी भी बैंक में रहन हो तो रहन मुक्त होने तक रहन यथावत रहेगा।

हनुमानाराम RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सहायक कलक्टर)
खींवसर

सहायक कलक्टर
(SD) खींवसर